



प्रसार भारती/Prasar Bharati
(भारत का लोक सेवा प्रसारक/
India's Public Service Broadcaster)
दूरदर्शन महानिदेशालय/DG : Doordarshan
दूरदर्शन भवन/Doordarshan Bhawan
कॉपरनिकस मार्ग/Copernicus Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110001

सं. ई-11015/01/2019-हिंदी

दिनांक : 06.10.2020

कार्यालय जापन

विषय: राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही की रिपोर्ट भिजवाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर कृपया दूरदर्शन महानिदेशालय के दिनांक 28.11.2019 के समसंख्यक आदेश का संदर्भ लें (प्रति संलग्न)। उक्त आदेश के अंतर्गत राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट के लिए आपके कार्यालय को नोडल कार्यालय नामित किया गया है। नोडल केंद्रों/अधिकारियों की यह जिम्मेदारी निर्धारित की गई है कि वे प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले केन्द्रों/उच्च शक्ति प्रेषित्रों/अल्प शक्ति प्रेषित्रों और दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्रों आदि से भरी हुई तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करके महानिदेशालय को भिजवाएं।

उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में अनुरोध है कि आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले दूरदर्शन केन्द्रों/उच्च शक्ति प्रेषित्रों/अल्प शक्ति प्रेषित्रों और दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्रों आदि से सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त करके 15 अक्टूबर, 2020 तक महानिदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाए कि रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े सही एवं तथ्यपरक हों, कोई भी कॉलम खाली न हो तथा प्रत्येक कॉलम में पूरी सूचना दी गई हो। कृपया रिपोर्ट के साथ कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित निर्धारित प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से संलग्न करें अन्यथा रिपोर्ट अधूरी समझी जाएगी।

(रीता शर्मा)
सहायक निदेशक(रा.भा.)
दूरदर्शन महानिदेशालय

सभी नोडल कार्यालय अध्यक्ष

प्रसार भारती/Prasar Bharati
(भारत का लोक सेवा प्रसारक/
India's Public Service Broadcaster)
दूरदर्शन महानिदेशालय/DG: Doordarshan
कॉपरनिकस मार्ग/Copernicus Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110001

फा. सं. ई-11015/01/2019-हिंदी(भाग-2)

दिनांक : 28.11.2019

आदेश

विषय : राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन/तिमाही प्रगति रिपोर्ट के संबंध में नोडल कार्यालय नामित करना ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन नीति के अनुसार प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के दस दिन के अंदर अपने मुख्यालय में हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजनी होती है ताकि रिपोर्ट की समीक्षा की जा सके। किंतु यह देखने में आया है कि केंद्र/कार्यालय समय पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट महानिदेशालय नहीं भेजते हैं। अपर महानिदेशक (प्रशा.) ने इसे गंभीरता से लिया है।

दूरदर्शन केंद्रों/कार्यालयों, उच्च शक्ति प्रेषित्रों और दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्रों द्वारा समय पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में स्थित एक कार्यालय को नोडल कार्यालय बनाया जाए। नोडल केंद्रों/कार्यालयों के अक्षयक्ष नोडल अधिकारी होंगे। ये नोडल कार्यालय अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्रों/उच्च शक्ति प्रेषित्रों और दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्रों से पूरी भरी हुई तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करके महानिदेशालय को प्रेषित करेंगे। नोडल कार्यालयों/केंद्रों की सूची इसके साथ संलग्न है।

नोडल राजभाषा कार्यालय	दूरदर्शन केन्द्र का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
विजयवाड़ा	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
	तिरुपति	
ईटानगर	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश
गुवाहाटी	डिब्रूगढ़	असम
	गुवाहाटी	
	गुवाहाटी (पीपीसी)	
	सिल्चर	
पटना	पटना	बिहार
	मुजफ्फरपुर	
रायपुर	जगदलपुर	छत्तीसगढ़
	रायपुर	
पणजी	पणजी	गोवा
अहमदाबाद	अहमदाबाद	गुजरात
	राजकोट	

हिमाचल	हिमाचल	हरियाणा
शिमला	शिमला	हिमाचल प्रदेश
जम्मू	श्रीनगर	जम्मू, लडाख
	जम्मू	
	लेह	
	राजौरी	
रांची	रांची	झारखंड
	डाल्टनगंज	
बैंगलुरु	बैंगलुरु	कर्नाटक
	गुलबर्गा	
तिरुवनंतपुरम	कोजिकोड	केरल
	तिरुवनंतपुरम	
	त्रिचूर	
भोपाल	भोपाल	मध्य प्रदेश
	इंदौर	
	ग्वालियर	
मुंबई	मुंबई	महाराष्ट्र
	नागपुर	
	पुणे	
इफाल	इफाल	मणिपुर
शिलांग	शिलांग	मेघालय
	तुरा	
आइजोल	आइजोल	मिजोरम
कोहिमा	कोहिमा	नगालैंड
भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	उड़ीसा
	भवानीपटना	
	सबलपुर	
जालंधर	जालंधर	पंजाब
	पटियाला	
जयपुर	जयपुर	राजस्थान
गंगटोक	गंगटोक	सिक्किम
चेन्नै	चेन्नै	तमिलनाडु
	कोयंबटूर	
	मद्रास	
हैदराबाद	हैदराबाद	तेलंगाना
	वारंगल	
अगरतला	अगरतला	त्रिपुरा
लखनऊ	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
	बरेली	
	लखनऊ	
	गोरखपुर	
	मऊ	
	वाराणसी	
मथुरा		
देहरादून	देहरादून	उत्तराखंड
कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
	शांतिनिकेतन	
	जलपाईगुड़ी	

पॉस्ट ऑफिस	पॉस्ट ऑफिस	अडमिन और निरीक्षक
चंडीगढ़	चंडीगढ़	चंडीगढ़
दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली
	दिल्ली सी पी सी	
पुदुचेरी	पुदुचेरी	पुदुचेरी

उक्त नोडल केंद्रों/अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी की वे प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 10 दिनों के अंदर अपने अंतर्गत आने वाले कार्यालयों की समेकित (consolidated) हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट महानिदेशालय में भिजवाएं।

उपर्युक्त व्यवस्था केवल राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए की जाती है। राजभाषा नीति के अनुपालन में आपका सहयोग अपेक्षित है।

सभी केंद्र/कार्यालय अध्यक्ष

(सत्य प्रकाश) 28/11/19
 संयुक्त निदेशक (रा.भा.)
 सत्य प्रकाश
 संयुक्त निदेशक (रा.भा.)